अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालयिक कर्मचारी संघ (अरूस्मा)

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)

प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

क्रमांकः ARUSMA/प्रदेश/राज./2025/241—246 दिनांकः—02.12.2025

माननीय मुख्यमंत्री/उच्च शिक्षा मंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर।

श्रीमान् आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त,
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

विषयः— कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया से संबंधित रोस्टर पंजिका विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु अनुरोध बाबत।

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संघ आपका कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों की विभागीय सीधी पदोन्नति प्रक्रिया में लागू रोस्टर पंजिका से संबंधित एक गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हैं

1. **वर्तमान में विभाग में मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति वाली रोस्टर पंजिका की स्थितिः—**

   — कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान में वर्तमान में 01/04/2020 के उपरांत 05 पदोन्नति वर्ष समाप्त हो जाने के बाद भी आदिनांक तक विगत पदोन्नति वर्षों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया में लागू रोस्टर पंजिका को विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया संपादित हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से विभागीय वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है।

   — पदोन्नति संबंधित रोस्टर पंजिका जारी नहीं होने से मंत्रालयिक कार्मिकों को पदोन्नति बाबत पदवार विभिन्न वर्गों की आरक्षित एवं अनारक्षित रिक्तियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है।

   — रोस्टर पंजिका के द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया में आरक्षण, वरिष्ठता एवं योग्यता के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त होती है। किंतु विभाग में विगत अनेक वर्षों से पदोन्नति रोस्टर पंजिका जारी नहीं होने से पदोन्नति अनुभाग में कार्यरत मानव संसाधन की प्रशासनिक दक्षता एवं कार्यकुशलता पर भी संदेह की स्थिति उत्पन्न करती है।

2. **राज्य सरकार द्वारा लागू नीति एवं प्रावधानों का उल्लंघनः—**

   — राज्य सरकार द्वारा सुशासन की प्राप्ति के लिए वर्तमान में पूर्णतः पारदर्शी एवं जवाबदेही **'ई—गर्वनेंस मॉडल'** को लागू किया गया है।

   — कार्मिक विभाग, राजस्थान द्वारा भी समय—समय पर विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया से संबंधित पदोन्नति वर्षवार अद्यतन रोस्टर पंजिका को संबंधित विभागीय वेबसाइट पर जारी करने एवं संबंधित अद्यतन लिंक को कार्मिक विभाग, राजस्थान की अधिकृत वेबसाइट पर जारी किए जाने की प्रक्रिया भी लागू है।

   — श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के स्तर से भी विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया से संबंधित रोस्टर पंजिका जारी किए जाने के आदेश समय—समय पर प्रसारित किए जाते रहे है।

3. **रोस्टर पंजिका पदोन्नति प्रक्रिया की आत्मा है।** रोस्टर पंजिका से संबंधित संवर्ग के पदोन्नति प्रक्रिया में पूर्णतः पारदर्शिता एवं स्पष्टता प्रदर्शित होती है।

4. **शैक्षणिक संवर्ग का अद्यतन रोस्टर पंजिका की स्थितिः–**
   – आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के राजकाज रेफरेंस क्रमांक– 15917603 दिनांक– 16.06.2025 के द्वारा शैक्षणिक संवर्ग की रोस्टर पंजिका लगभग 46 विषयों की पृथक–पृथक विभागीय वेबसाइट पर जारी की जा चुकी है।

5. **संघ का पूर्व में अनुरोधः–**
   – संघ के द्वारा पूर्व में भी पत्रांक– **ARUSMA/प्रदेश/राज./2025/25–32** दिनांक– **21/07/2025** के द्वारा विभागीय पदोन्नति रोस्टर पंजिका जारी किए जाने के लिए के लिए पत्र प्रेषित किया जा चुका है। किंतु उक्त संदर्भ में आदिनांक तक कोई कार्रवाही संपादित नहीं की गई है।

6. **संघ की माँगः–**
   – कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों की 01/04/2020 के बाद के समस्त पदोन्नति वर्षों की रोस्टर पंजिका संबंधित पदोन्नति वर्ष में 01 अप्रैल की स्थिति में पदोन्नति वर्षवार विभागीय वेबसाइट पर अतिशीघ्र प्रसारित करवाई जाए।
   – कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों की भविष्य में भी पदोन्नति संबंधी अद्यतन रोस्टर पंजिका प्रत्येक पदोन्नति वर्ष में 01 अप्रैल की स्थिति में जारी करवाई जाए।

   आपसे अनुरोध हैं कि संघ की उपरोक्त माँग पर आवश्यक कार्यवाही करवाकर पदोन्नति संबंधी रोस्टर पंजिका अतिशीघ्र जारी करवाने का श्रम करावें।

आपकी सकारात्मक कार्रवाही की प्रतीक्षा में।

दिनांक– 02.12.2025 **भवदीय**

प्रकाश चन्द्र शर्मा
प्रदेशाध्यक्ष, ARUSMA